Date
14/08/2k20

C-10 Unit-V

शैक्षिक छूट, सुविधाएँ और प्रावधान, विकलांग बालिकाएँ

(Education concession, facilities and provision, Girls with Disabilities)

शैक्षिक छूट, सुविधाएँ और प्रावधान (Educational Concessions, facilities and provisions)

:- समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा और उनकी आवश्यकता को पूरा किया जाए। शैक्षिक अध्ययन में राष्ट्रीय समिति ने विशिष्ट बालकों की परिभाषा इस प्रकार की है — " विशिष्ट बालक वे होते हैं जो कि औसत बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतनी मात्रा में भिन्न होते हैं कि अपनी अधिकतम क्षमताओं को विकास के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है"

⇒ विशिष्ट बालकों के कारण अलग अलग होते हैं। ये निम्नलिखित होते हैं —

(1) शारीरिक अक्षमता वाले बालक -
 - (a) अपाहिज बालक
 - (b) अन्धे, बहरे बालक
 - (c) बोलने की अक्षमता वाले बालक
 - (d) दूसरे प्रकार की अक्षमता; जैसे - क्षयरोग आदि।

(2.) मानसिक अक्षमता वाले बालक
 - (a) अत्यधिक कम बुद्धि वाले
 - (b) कम बुद्धि वाले

(3.) मानसिक रूप से तीव्र बालक (प्रतिभावान)

(4.) ~~मानसिक~~ संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक

Scanned with CamScanner

(5.) सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक :-
इन बालकों की पहचान विभिन्न परीक्षणों द्वारा की जा सकती है। इनमें कुछ प्रमुख अधोलिखित हैं :-

(1) समूह सेवाएँ तथा परीक्षण
(a) समूह निर्धारित परीक्षण
(b) मानसिक परीक्षण
(c) स्वास्थ्य परीक्षण
(d) नियंत्रित एवं स्वतंत्र निरीक्षण

(2.) व्यक्तिगत पहचान

=> विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspect for Education of Special Child) :-

(1) भेदभाव रहित शिक्षा (Non-Discriminatory Education) :-
बालक की भिन्नताओं के आधार पर विशेष शिक्षा में सभी को शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर विशेष शिक्षा में किसी भी बालक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है।

(2.) शून्य निरस्तीकरण (Zero Rejection) :-
शिक्षा के अधिकार एवं सार्वभौमीकरण से किसी भी बालक को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। विशेष शिक्षा विशिष्ट बालकों की आवश्यकता के अनुरूप प्रदान की जाती है। विशेष शिक्षा वाले विद्यालयों में सामान्य विद्यालयों के प्रवेश के समान किसी को निरस्त नहीं करके सभी बालकों को प्रवेश दिया जाता है। इस प्रकार विशेष शिक्षा वाले विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क एवं भेदभाव रहित और शून्य निरस्तीकरण के सिद्धांत पर होती है।

Scanned with CamScanner

(3.) विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा (Education Through special programmes) :-

विशेष विद्यालयों में विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किये जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण विभिन्न बालकों की आवश्यकता भी भिन्न-भिन्न होती है। अतः उनके लिए व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था आवश्यक मानी है। विशिष्ट बालकों के लिए विशेष कार्यक्रमों की तैयारी करने से पूर्व उनकी क्षमताओं एवं आवश्यकताओं का गहन अध्ययन किया जाता है।

(4.) माता-पिता का सहयोग प्राप्त करना (To create parental participation) :-

विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ संचार कौशल विकसित करने एवं उनकी आवश्यकताओं तथा सामर्थ्य को जानने के लिए ऐसे बालकों के अभिभावकों से सम्पर्क करना अति आवश्यक है। बालकों की अन्तर्निहित शक्तियों के विकास एवं उसकी दैनिक क्रियाओं के समुचित संचालन के लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम में अभिभावकों का सहयोग सदैव अपेक्षित है।

(5.) न्यूनतम बाधा (Minimum Barrier) :-

विशिष्ट विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय का वातावरण न्यूनतम बाधा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा एवं विशेष उपकरण निःशुल्क प्रदान किये जाने चाहिए। कक्षा-कक्ष में विशिष्ट बालकों को उचित स्थान पर बैठाना चाहिये। कक्षा में बालक का उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो।

Scanned with CamScanner

(6.) निष्पक्ष मूल्यांकन (Fair Evaluation) :-

विशिष्ट बालकों की विशेष शिक्षा के दौरान नियमित रूप से निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक की शैक्षिक प्रगति का सही प्रकार से आंकलन किया जा सके। इन बालकों के लिए चयनित पाठ्यक्रम एवं विधियों की इच्छित सफलता न मिलने पर कार्यक्रम में उचित परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष शिक्षा की प्रकृति लचीली होती है। विशेष शिक्षा में बालकों को अधिगम के दौरान सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का तुरन्त निराकरण किया जाता है ताकि बालक अपनी क्षमताओं का सही विकास कर सके।

विशेष शिक्षा :-

विशिष्ट बालकों के पृथक्कीकरण (Segregation) पर विद्वानों में बहुत वाद-विवाद हुआ अतः विशेष शिक्षा के आयोजन पर बल दिया गया। विशेष शिक्षा से तात्पर्य अनेक परिस्थितियों से है, जो इस प्रकार हो सकती है :-

(i) सामान्य कक्षा के बालकों के साथ शिक्षित करना, समय-समय पर विशेषज्ञ निरीक्षण करके बालकों की सहायता करना है।

(ii) सामान्य कक्षा के उपरान्त, अन्य समय विशिष्ट बालकों को देना।

(iii) विशिष्ट बालक अधिक समय विशेष अध्यापक के साथ व्यतीत करें और कुछ समय सामान्य छात्रों के साथ।

(iv) बालकों को पूर्णतः विशेष कक्षा में रहना है।

यह विभिन्न प्रकार की विशेष शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुसार ही दी जानी चाहिए। यदि बालक सामान्य कक्षा से समायोजित हो सकता है, तो उसे वहीं रखना चाहिए अर्थात बालक को वहीं रखना चाहिए जहाँ पर उसकी अधिकतम उन्नति होसके।

Scanned with CamScanner